न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः—33/2015/अपील

1 रूकमणी देवी
2 टूमा देवी
} पुत्रियां नारायण जाति बलाई निवासी मावण्डा खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1 तहसीलदार तहसील नीमकाथाना जिला सीकर
2 मदनलाल
3 गोकुल चन्द
} पुत्रगण स्व0 नारायण जाति बलाई निवासीगण मावण्डा खुर्द तहसील नीमकाथाना जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्व नामांतकरण सं. 682/92 दिनांक 19.05.1992 निर्णय न्यायालय तहसीलदार नीमकाथाना

वकील अपीलांट श्री दिनेश कुमार सैनी
वकील रेस्पोडेंट श्री मनोज कुमार शर्मा

निर्णय **दिनांकः—27.01.2020**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि भूमि ख0नं0 382 रकबा 0.86 है, ख0नं0 383 रकबा 0.24 है0, ख0नं0 384 रकबा 0.34 है, ख0नं0 391 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 393 रकबा 0.63 है0, ख0नं0 394 रकबा 0.03 है0, ख0नं0 395 रकबा 0.02 है0, ख0नं0 396 रकबा 0.09 है, ख0नं0 397 रकबा 0.22 है0, ख0नं0 398 रकबा 0.24 है0, ख0नं0 399 रकबा 0.34 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 3.84 है0 भूमि ग्राम मावण्डा कला में स्थित है। अपीलान्ट मृतक नारायण के विधिक वारिस है जिनका सजरा इस प्रकार हैः—

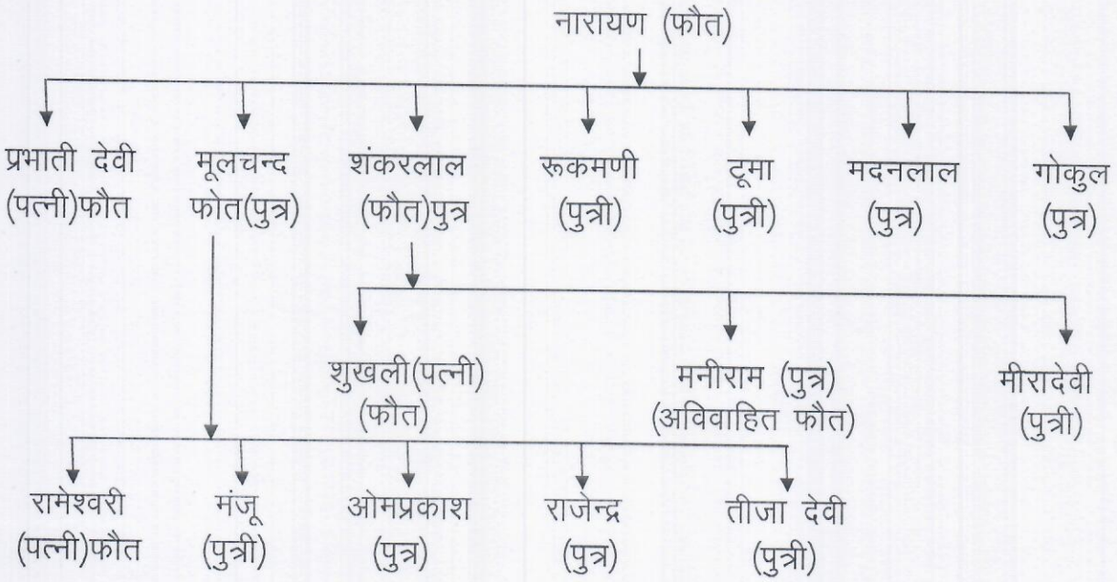

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित भूमि की खातेदारी अपीलान्ट के पिता नारायण के फौत होने पर विरासत का नामान्तकरण उनके वारिसान के नाम भरा जाना था। जिसके क्रम में पटवारी हल्का द्वारा विरासत का नामान्तकरण भरा जाकर तहसीलदार नीमकाथाना

के समक्ष पेश किया तथा दिनांक 19.05.1992 को तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा स्वीकार कर लिया गया। विवादित नामान्तकरण नारायण की विरासत का भरा गया था। जिसमें नारायण के वैध वारिसान का नाम भरा जाना था। लेकिन पटवारी हल्का ने अपीलान्टस का नाम नामान्तरकरण में नही भरा गया। जब नामान्तकरण भरा गया तब अपीलान्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये बिना नामान्तकरण बाला बाला तहसीलदार से स्वीकार करवा लिया गया है। पटवारी हल्का को विरासत का नामान्तकरण में वारिसों की जांच कर सभी वारिसान का नाम दर्ज करना चाहिये था। अपीलाधीन नामान्तकरण में गिरदावर हल्का ने वारिस बाबत कोई जांच नहीं की गई। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर नामान्तकरण संख्या 682 दिनांक 19.05.1992 को निरस्त किया जाकर मृतक नारायण के वारिसान की सही जांच कर सभी वारिसान के नाम नामान्तकरण दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण खातेदार नारायण फौत होने पर जायन्दा लड़को के नाम तस्दीक किया गया है। अपीलाधीन नामान्तकरण खातेदार नारायण फौत होने पर उसके स्थान पर मूलचन्द, मदन, गोकुल पि0 नारायण प्रभाती बेवा नारायण हिस्सा 1/2 बाकी बदस्तूर के नाम तस्दीक किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध सरपंच ग्राम पंचायत मावण्डा कला पंचायत समिति नीमकाथाना द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 19.09.2012 के मुताबिक अपीलांटान मृतक खातेदार नारायण की पुत्रियां है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का विवेचन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध सरपंच ग्राम पंचायत मावण्ड कला पंचायत समिति नीमकाथाना द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 19.09.2012 से यह निर्विवाद है कि अपीलांटान मृतक खातेदार की पुत्रीयां है तथा विरासत का नामान्तकरण (चुनौतिग्रस्त) दर्ज करते समय उसका नाम नामान्तकरण में सम्मिलित नहीं किया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 में यह प्रावधान है कि काश्तकार की निर्वसीयतीय मृत्यु होने पर उसका उत्तराधिकार पर्सनल लॉ के अनुसार निर्धारित किया जायेगा व तद्नुसार अभिलेख में दर्ज किया जायेगा। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के मुताबिक हिन्दु पुरूष के पुत्रों तथा पुत्रियों को समान दर्जा प्राप्त है। इस प्रकार अपीलांटान को मृतक खातेदार की पैतृक सम्पति में अपना हक प्राप्त करने का अधिकार है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटान स्वीकार की जाकर चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण संख्या 682 दिनांक 19.05.1992 निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार नीमकाथाना को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलाधीन नामान्तकरण के सम्बंध में मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जांच की जाकर नियमानुसार पुनः नामान्तकरण तस्दीक करें।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/1/20

(जय प्रकाश)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर
अति. जिला कलक्टर, सीकर